

## न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या 15/179/2019	रजिस्ट्रेशन नं० 2019/00628	प्रवेश तिथि 10/12/2019	निर्णय दिनांक 28.06.2022
--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

1. श्रीराम हाऊसिंग फाईनेन्स लि०, शाखा प्लॉट नं० 2, तृतीय तल, ई-ब्लॉक सेक्टर-1, नोयडा, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)-201301 जरिये प्रा० अधिकारी।

—प्रार्थी

### बनाम

1. श्री विजय सिंह जाटव पुत्र श्री मोतीराम जाटव, प्लॉट नं० बी-61, खसरा नं० 311, ग्राम खुदनपुरी अलवर (राज०) 301001
2. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री विजय सिंह जाटव, प्लॉट नं० बी-61, खसरा नं० 311, ग्राम खुदनपुरी अलवर (राज०) 301001

—अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को दिनांक 19.06.2014 (Account No.SELHALWR0000022) में 5,32,101/-रूपये (Rupees Five Lakh Thirty Two Thousand One Hundred One Rupees Only) को उपलब्ध कराई थी, जो दिनांक 16.01.2019 को Total Aggregating Loan Amount Rs. 4,60,585/- (Rupees Four Lakh Sixty Thousand Five Hundred Eighty Five Only) है। ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्ज के सहित एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च की अदायगी। तथा अप्रार्थी ऋणियों/जमानतदारों द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सम्पत्ति "श्री विजय सिंह जाटव पुत्र श्री मोतीराम जाटव की प्लॉट नं० बी-61, खसरा नं० 311, ग्राम खुदनपुरी अलवर, जिला अलवर राजस्थान स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 150 वर्गगज)" को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नहीं की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त "श्री विजय सिंह जाटव पुत्र श्री मोतीराम जाटव की प्लॉट नं० बी-61, खसरा नं० 311, ग्राम खुदनपुरी अलवर, जिला अलवर राजस्थान स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 150 वर्गगज)" को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के

अवलोकन के बाद जाहिर है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा उपलब्ध ऋण नियमानुसार प्रार्थी बैंक को नहीं चुकाया है, जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 05.01.2019 को एन.पी.ए घोषित कर प्रार्थी बैंक ने

ऋणी/अप्रार्थी (सह ऋणी) एवं जमानती को दिनांक 25.01.2019 को एक्ट की धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिया जाना अवगत कराया है, लेकिन नोटिस की रजि० डाक की तामिल एवं ट्रैकिंग रिपोर्ट पेश नहीं की है। जिससे यह जाहिर नहीं होता है कि अप्रार्थी/ऋणी एव जमानती को उक्त नोटिस की तामिल हुई हों। प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शिवप्रसाद नकाते)  
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर